संख्या-231/2019/4325/26-3-2019

प्रेषक,

सतीश कुमार
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 30 अक्टूबर 2019

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, चन्दनचैकी, लखीमपुरखीरी में किचन, डायनिंग हाल एवं विद्यालय के आंगन (किचन ब्लाक) की मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-185/15/ज0जा0वि0/निर्माण/2019-20 दिनांक-25.09.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बालापुर, बलरामपुर के शिक्षण कार्य हेतु प्रयोग में लाये जा रहे कक्ष की मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि से राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, चन्दनचैकी, लखीमपुरखीरी में किचन, डायनिंग हाल एवं विद्यालय के आंगन (किचन ब्लाक) की मरम्मत कार्य कराये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-168/2019/2584/26-3-2019, दिनांक- 03.07.2019 द्वारा राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बालापुर, बलरामपुर के शिक्षण कार्य हेतु प्रयोग में लाये जा रहे कक्ष की मरम्मत हेतु आगणित धनराशि रू0-60.04 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये रू0-60.04 लाख (रू0 साठ लाख चार हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

3- इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक्विचारोपरांत शासनादेश संख्या-168/2019/2584/26-3-2019, दिनांक-03.07.2019 को निरस्त करते हुये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बालापुर, बलरामपुर के शिक्षण कार्य हेतु प्रयोग में लाये जा रहे कक्ष की मरम्मत हेतु निर्गत की गयी धनराशि रू0-60.04 लाख से उक्त कार्य के स्थान पर राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, चन्दनचैकी, लखीमपुरखीरी में किचन, डायनिंग हाल एवं विद्यालय के आंगन (किचन ब्लाक) की मरम्मत कार्य कराये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1)-निदेशक,जनजाति विकास द्वारा कार्यदायी संस्था प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन, लि0 लखनऊ के साथ अनुबन्ध निष्पादित करते हुये स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है, इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, जनजाति विकास का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विद्यमान नियमों का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन व महालेखाकार को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

(4)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो को निर्धारित ससमय में पूर्ण कर लिया जाये।

(5)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व मंे अन्य/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6)-धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नही रखी जायेगी।

(7)-उक्त प्रायोजन की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये। उक्त कार्य की मात्राओं के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक- ''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-04-अनुसूचित जनजातियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के अधूरे भवनों का निर्माण-24-वृहद निर्माण' मद के नामे डाला जायेगा।

5- उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय,
सतीश कुमार
अनु सचिव

पृसं0-231/2019/4325(1)/26-3-2019 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, लखीमपुरखीरी एवं बलरामपुर।
5- जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखीमपुरखीरी एवं बलरामपुर ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
8- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9- निदेशक, एन0आई0सी0।
10-गार्डफाइल

आज्ञा से,
सतीश कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in